प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या: 322 /ईपीडी0/दैवीय आपदा भाग-2/2014-15 दिनांक: 15 5 2014

विषय: ग्रीष्म काल में अग्नि से हुई पशुधन क्षति पर आपदा प्रबंधन अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विषयक ।

महोदय,

कृपया वर्ष 2014 में सूखा हेतु कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में शासन के पत्र सं0 115/1-11-2014-18 (जी)/06 दिनांक 24 मार्च 2014 द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश/आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 314/इपीडि/सूखा प्रबन्धन/14-15 दिनांक 9-4-14 तथा पत्रांक 314/इपीडि/सूखा प्रबन्धन/14-15 दिनांक 5-5-14 द्वारा समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं आपको सूखा प्रबन्धन हेतु आवश्यक दिशा निर्देशो के साथ प्लान तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि ग्रीष्म काल में अग्नि से भी पशुधन क्षति के होने की सम्भावना रहती है। अतः पशुधन रक्षा के लिए अग्नि को भी पूर्व में दिये गये निर्देशों में सम्मलित करते हुए आपदा प्रबंधन प्लान में रक्खा जाय जिसके लिए भारत सरकार के राहत आपदा मानक के नवीनतम शासनादेश दिनांक 21 जून 2013 में उल्लिखित दुधारू पशु गॉय/भैस (बड़ा जानवर) प्रति रू0 16400/- बैल, घोड़ा आदि प्रति रू0 15000/- भेड, बकरी, सूकर आदि प्रति रू0 1650/- एवं मुर्गी प्रति रू0 37/- की दर से प्राविधान किया गया है।

प्रश्नगत गत आदेशों को अपने स्तर से सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को भी निर्देशित कर दिया जाय ।

भवदीय,

15/5/14

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्या: 322 /ईपीडी0/सूखा प्रबन्धन-दो,दिशा निर्देश/2014-15 दिनांक: 15.5 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ ।

2- प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

15/5/2014

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।